10.5.23	पत्रावली पेश हुई S.D.O सा राजस्व कैम्प में पधारे हैं अब पत्रावली पुनः [illegible] दिनांक 26.7.23 को पेश हो।
26.7.23	पत्रावली पेश हुई S.D.O. सा० R० मीटिंग में पधारे है वकील वादी उप० अब पत्रावली पुनःनुसार दिनांक 21.8.23 को पेश हो।
21.8.23	पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। अब पत्रावली पुनःनुसार दिनांक 24.8.23 को पेश की जावे
24.8.23	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे अन्य वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी उपस्थिति देने हेतु अवसर चाहते है अवसर दिया जाता है। 20.9.23 को पेश हो।
20.9.23 Sd. w.M. प्रतिवादी वादीगण [illegible] 20.9.2023	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी पूर्व मे मु: प्रा·पत्र मे प्रस्तुत राजीनामा प्रा·पत्र पर बहस किया जाने का निवेदन किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाने पर उभय पक्ष की राजीनामा प्रा·पत्र पर बहस सुनी गई प्रस्तुत प्रा·पत्र के अनुसार वकील वादी ने इस प्रकार से निवेदन किया गया है कि इकबालिया जवाब के साथ साथ हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रकरण मे राजीनामे के आधार पर वादीगण के पक्ष [illegible] जारी किया जाने का निवेदन [illegible] उभय पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन किया ...
वकील वादी द्वारा पूर्व मे भी एक राजीनामा
प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था। जिसे इस न्यायालय
द्वारा दि: 22-2-22 को इस आदेश के साथ खारिज
किया गया था कि वाद पत्र मे वर्णित सजरे के आधार
पर हिस्से को घोषित कराया जाना वादी के जिम्मे
है। वादीगण ने न्यायालय मे घोषणा व विभाजन का
वाद प्रस्तुत किया है आराजी की घोषणा कराये जाने
हेतू साक्ष्य सबूत आवश्यक होते है। तथा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र राजीनामा मे बताया गया हिस्सा सजरे
अनुसार प्रतित नही होता है। राजीनामा प्रार्थना पत्र
खारिज किया जाने के आदेश दिये गये थे। किन्तु फिर
से वकील वादीगण द्वारा राजीनामा प्रा.पत्र प्रस्तुत
किया गया। जब इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे राजीनामा
प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चूका है। ऐसी स्थिति
मे पुन: राजीनामा प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार
अब इस न्यायालय को नही है। अत: वादीगण का
राजीनामा प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। तथा
दिनांक 13.10.22 को इस न्यायालय द्वारा प्रकरण मे
साक्ष्य वादी बन्द कि जाकर दावा पूर्व मे अदम हाजरी
अदम पैरवी मे खारिज किया गया था। वकील वादी
द्वारा प्रार्थना पत्र O.9 R.09 CPC का पेश कर दावा
पुन: नम्बर पर लेने का निवेदन किया गया जिसे
सुनकर न्यायालय द्वारा पुन: नम्बर पर लिया गया
किन्तु प्रकरण मे साक्ष्य वादी बन्द की जा चूकी है।
ऐसी स्थिती मे प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श
नही हो सके है। जिन्हे इस न्यायालय द्वारा पढा नही
जा सकता है। जब प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श
नही होने से पर ... घोषणा का दावा
सिद्ध नही होता है। क्योंकि ...नामा के दावे को सिद्ध करने
के लिए दस्तावेज एवं साक्ष्य सबूत आवश्यक होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः वादीगण का वाद अ. धा. 88, 89, 92 क. 188, व 53, 54 R.T.A का साक्ष्य सबूत के अभाव मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested